संख्या– 292 / XXIV–नवसृजित / 2015–7(04) / 2010

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित देहरादूनः दिनांक 03 जून, 2015

विषयः–प्रदेश के रा0इ0का0 / रा0उ0मा0विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनकम के पदों का Rationalization के फलस्वरूप विषयवार मानक से अधिक समर्पित पदों के प्रति शिक्षकों के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–सेवाऐं–2 / 6215 / Rationalization / 2015–16, दिनांक 30.05.2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–202 / XXIV–नवसृजित / 2014–7(4) / 2010, दिनांक 28.07.2014 के कम में विषयवार मानक से अधिक समर्पित पदों के सापेक्ष प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों / राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से विषयवार सरप्लस एल0टी0 वेतनकम / संवर्ग के सहायक अध्यापकों को अन्यत्र विद्यालयों में समयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन स्तर पर लिये गये निर्णय को सूचित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 28.07.2014 के कम में विषयवार मानक से अधिक समर्पित पदों के सापेक्ष विद्यालय में सरप्लस सहायक अध्यापकों को अन्यत्र विद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों के सापेक्ष निम्नानुसार समायोजित किया जायेगाः–

(1) सहायक अध्यापक एल0टी0 के समायोजन हेतु मण्डल स्तर पर अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे–

1. अपर निदेशक, मा0शि0 सम्बन्धित मण्डल–	सदस्य सचिव / अध्यक्ष
2. अपर निदेशक, प्रा0शि0 सम्बन्धित मण्डल–	सदस्य
3. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी–	सदस्य
4. मण्डल मुख्यालय के जिला शिक्षा अधिकारी(मा0)–	सदस्य

(2) सम्बन्धित सहायक अध्यापक, जो उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 (यथा संशोधित–2014) की प्रकियान्तर्गत पात्रता सेवा गुणांक के आधार पर अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आयें उन्हें तदानुसार (नियमावली अनुसार) अनुमन्य श्रेणी के अन्यत्र विद्यालय में रिक्त पद पर स्थानान्तरित / समायोजित किया जायेगा।

(3) जो सहायक अध्यापक उक्त नियमावली के अन्तर्गत पात्रता सेवा गुणांक के आधार पर अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में नहीं आयें उनमें अधिक पात्रता सेवा गुणांक वाले शिक्षक का उनके वर्तमान श्रेणी के विद्यालय के समान अथवा अगली श्रेणी के विद्यालय में रिक्त पद पर समायोजन किया जायेगा।

(4) जहाँ समायोजन किये जाने वाले अध्यापकों के पात्रता सेवा गुणांक समान हों वहाँ कम आयु वाले शिक्षक / शिक्षिका का उक्तानुसार स्थानान्तरण / समायोजन किया जायेगा।

(5) समायोजन की प्रकिया काउन्सिलिंग के माध्यम से सम्पादित की जायेगी।

(6) अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्राप्त ऐसे शिक्षक/शिक्षिकाओं, जिनका समायोजन होना हो, को Y क्षेत्र में पदस्थापित किये जाने की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते X क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त हो।

(7) समायोजित होने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को उनके मूल संवर्ग (जिस शाखा में नियुक्त हों) के विद्यालयों में ही समायोजित किया जायेगा। असंगत विषय में कार्यरत समस्त शिक्षक/शिक्षिकाओं को उनके संगत विषयों में समायोजित किया जाये, ताकि कोई असंगत विषय में कार्यरत न रहे।

3– कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 एम0सी0 जोशी)
सचिव।